संख्या: 9/2017/बी-1-1222/दस-2017-231/2017

प्रेषक,

मुकेश मित्तल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक, कोषागार,
1018, जवाहर भवन,
लखनऊ ।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 लखनऊ: दिनाँक: 16 अगस्त, 2017

विषय: वित्तीय वर्ष 2017-2018 में लेखानुदान से किये गये पुनर्विनियोगों के सम्बन्ध में।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2017-18 का बजट पारित हो चुका है तथा इससे सम्बन्धित वित्तीय स्वीकृतियों को निर्गत किये जाने हेतु दिशा-निर्देश, शासनादेश संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस- 2017-231/2017 दिनाँक 03 अगस्त, 2017 जारी किये जा चुके हैं तथा वित्तीय वर्ष 2017-2018 के बजट से संबंधित फाईल कोषागार के सेन्ट्रल सर्वर पर अपलोड की जा चुकी है । लेखानुदान में व्यवस्थित धनराशि से कतिपय विभागों द्वारा पुनर्विनियोग किया गया है । वित्तीय वर्ष 2017-2018 के बजट की फाईल सेन्ट्रल सर्वर पर अपलोड होने के उपरान्त लेखानुदान से किये गये पुनर्विनियोग, वित्तीय वर्ष 2017-2018 की बजट फाईल में निष्प्रभावी हो गये हैं ।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लेखानुदान में व्यवस्थित धनराशि से किये गये पुनर्विनियोगों (अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्ष "2401-00-800-02-03-27" से लेखाशीर्ष "2402-00-102-02-01-27" में रुपये 1000.00 लाख के पुनर्विनियोग को छोड़कर) को वित्तीय वर्ष 2017-2018 की बजट फाईल में पुनर्स्थापित (**Restore**) कराने का कष्ट करें ।

भवदीय,

मुकेश मित्तल
सचिव, वित्त ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या: 9/2017/बी-1-1222(1)/दस-2017-231/2017, तददिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।
3- राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी (एस.आई.सी.), एन.आई.सी., योजना भवन, लखनऊ ।
4- कृषि अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश सचिवालय ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश सचिवालय ।
6- समस्त वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय ।

आज्ञा से,

लहरी यादव
वित्तीय सलाहकार (बजट)
एवं विशेष सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।